

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2024

जयपुर, दिनांक 09 मई, 2025

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(2)(8)पंचा/रानिआ/2025/1465 दिनांक 06.05.2025 एवं पत्र क्रमांक प.4(2)(3)नपा/रानिआ/2024/1412 दिनांक 06.05.2025 द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में रिक्त हुए पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के पदों पर संलग्न सूची अनुसार उप-चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। नगर निकाय सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों एवं पंचों के मतदान की तिथि 26.05.2025 (सोमवार) को घोषित की गई है।

इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान के उक्त नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में (संलग्न सूची अनुसार) मतदान की तिथि दिनांक 26.05.2025 (सोमवार) को मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा, ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,



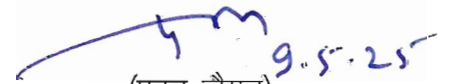
(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
9. सम्बन्धित संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित जिला कलक्टर, राजस्थान।
13. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक/मुम्बई/नागपुर/दिल्ली, जयपुर।
14. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर (पांच प्रतियों सहित)।
15. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

16. सम्बन्धित कोषाधिकारी राजस्थान।
17. उप महाप्रबन्धक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आनन्द भवन, जयपुर।
18. महाप्रबन्धक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, चौथा तल, बड़ौदा भवन, प्लॉट नम्बर 13, एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड़, जयपुर, पिन-302018
19. वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, जीवन प्रकाश, अजमेर।
20. वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मण्डल कार्यालय, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
21. मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जीवन प्रकाश, जयपुर।
22. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत समस्त बैंक।
23. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 3 – नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
24. राष्ट्रीय आवास बैंक, नेहरू पैलेस, जयपुर।
25. मुम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मुम्बई।
26. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कं. लि. क्षेत्रीय कार्यालय तीसरी मंजिल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर-302001
27. सचिव, बैंक मैनेजर्स एसोसियेशन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, टोंक रोड़, जयपुर।
28. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, जयपुर।
29. अवैतनिक मन्त्री, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, कार्नर गोपालजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर।
30. अवैतनिक मन्त्री, इण्डिया वर्कर्स एसोसियेशन द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन दूसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।
31. अवैतनिक मन्त्री राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर।
32. मन्त्री, को-ऑपरेटिव बैंक कर्मचारी संगठन, कोटा।
33. रक्षित पत्रावली।


(पवन जैन)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(8)/पंचा/रानिआ/2025/ 1317

दिनांक: 02-05-2025

प्रेस-नोट

आयोग द्वारा राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 01.06.2024 से 31.12.2024 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए जिला प्रमुख के 01, प्रधान के 02, उप प्रधान के 01, जिला परिषद सदस्य के 09, पंचायत समिति सदस्य के 18, सरपंच के 18, उपसरपंच के 15 एवं पंच के 169 पदों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। जिलेवार रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'A' पर उपलब्ध है। उक्त पदों हेतु उप चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

➤ जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1.	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	09.05.2025 (शुक्रवार)
2.	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	14.05.2025 (बुधवार) प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक (रविवार दिनांक 11.05.2025 को छोड़कर)
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	15.05.2025 (गुरुवार) प्रातः 11.00 बजे से
4.	नाम वापसी की तिथि एवं समय	16.05.2025 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	16.05.2025 (शुक्रवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6.	मतदान की तिथि एवं समय	26.05.2025 (सोमवार) प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
7.	मतगणना 1. जिला परिषद सदस्य - जिला मुख्यालय पर 2. पंचायत समिति सदस्य - पंचायत समिति मुख्यालय पर	27.05.2025 (मंगलवार) प्रातः 9:00 बजे से

➤ जिलाप्रमुख, प्रधान, उपप्रधान के लिए

1.	जिला प्रमुख/प्रधान की मतदान तिथि	28.05.2025 (बुधवार)
2.	उपप्रधान की मतदान तिथि	29.05.2025 (गुरुवार)
चुनाव के लिए समय-सारणी		
	बैठक हेतु नोटिस जारी करना	प्रातः 09.00 बजे से पूर्व
	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
	नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 1.00 बजे तक
	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन	अपराह्न 1.00 बजे के तुरन्त बाद
	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 3.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य
	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➤ सरपंच एवं पंच के लिए

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1.	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि	09.05.2025 (शुक्रवार)
2.	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	14.05.2025 (बुधवार) प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	15.05.2025 (गुरुवार) प्रातः 10.00 से
4.	नाम वापसी की अंतिम तारीख एवं समय	15.05.2025 (गुरुवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	15.05.2025 (गुरुवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6.	मतदान की तिथि एवं समय	26.05.2025 (सोमवार) ✓ प्रातः 7:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक
7.	मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर)	26.05.2025 (सोमवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➤ उपसरपंच के लिए

1.	उपसरपंच का चुनाव	27.05.2025 (मंगलवार)
चुनाव के लिए समय-सारणी		
	बैठक हेतु नोटिस जारी करना	प्रातः 09.00 बजे से पूर्व
	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
	नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन	पूर्वाह्न 11.30 से अपराह्न 12.00 बजे तक
	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 12.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य
	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

मतदाताओं की पहचान

राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश,

सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

● आदर्श आचरण संहिता

उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।

संलग्न : परिशिष्ट-A

आज्ञा से,

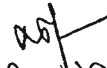


(नलिनी कठोटिया)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
सचिव

क्रमांक: एफ. 7(2)(8)/पंचा/रानिआ/2025/1318-1325 दिनांक: 02.05.2025
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
5. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन/कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
6. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
7. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
8. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।



(नलिनी कठोटिया)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
सचिव

परिशिष्ट -A

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर

पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 01.06.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक के रिक्त पदों का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	जिला परिषद, प्रमुख/उप-प्रमुख / सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक	पंचायत समिति में		पंचायत सर्किल में			
			पंचायत समिति का नाम	प्रधान/उप-प्रधान/ पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक	पंचायत का नाम	सरपंच	उप सरपंच	पंच वार्ड संख्यांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर		अराई	6				
			सरवाड़		सुनारिया			1
			सावर		बाजटा			5
			सरवाड़		सदापुर			7
	योग	0		1		0	0	3
2.	ब्यावर		रायपुर		पाटन	सरपंच		
	योग	0		0		1	0	0
3.	अलवर		लक्ष्मणगढ़		सेहरा			7
			लक्ष्मणगढ़		बड़का			5
			लक्ष्मणगढ़		जावली			4
			मालाखेड़ा	16				
		29						
			थानागाजी		मुण्डावरा			15
	योग	1		1		0	0	4
4.	खैरथल-तिजारा		मुण्डावर		ततारपुर			8
			मुण्डावर		खरेटा			7
			मुण्डावर		सिहाली खुर्द			9
			कोटकासिम		कतोपुर			9
			कोटकासिम		जौड़िया			4
	योग	0		0		0	0	5
5.	बांसवाड़ा		गांगडतलाई	10				
			घाटोल	1/उपप्रधान				
	योग	0		2		0	0	0
6.	बारों		छिपाबड़ौद	6				
			अन्ता		खजूरना कलां			6
	योग	0		1		0	0	1
7.	बाड़मेर		बाड़मेर		राणीगांव			9
			बाड़मेर		रामदेरिया			1
			शिव		धारदी कलां			7
			सेड़वा		आलू का तला			6
			चौहटन		लीलसर			4
			चौहटन		सांवलोरा			1

			चौहटन		पुरोणियों का तला			1
			चौहटन	25				
			धनाउ		धनाउ			1
			धनाउ		रबासर		उपसरपंच	5
	योग	0		1		0	1	9
8.	बालोतरा		कल्याणपुर	प्रधान / 10				
			पाटोदी		डउकियों की तला			1
			पाटोदी		डउकियों की तला			5
	योग	0		1		0	0	2
9.	डीग		डीग	9				
			नगर		आलमशाह			9
			कामां		नौनेरा			13
			कामां		ऐचवाड़ा			1
	योग	0		1		0	0	3
10.	भीलवाड़ा		सुवाणा		कोदूकोटा	सरपंच		
	योग	0		0		1	0	0
11.	बीकानेर		लूणकरणसर		कालू			8
			लूणकरणसर		बडेन			1
			लूणकरणसर		बडेन			5
			लूणकरणसर		हंसेरा	सरपंच		
			कोलायत		माणेका गांव			1
			कोलायत		रावनेरी			2
			कोलायत		चक बन्धा नं. 1 सांखला बस्ती			1
			कोलायत		चाण्डासर	सरपंच		
			पूगल		भुट्टों का कुआ	सरपंच		
	योग	0		0		3	0	6
12.	चित्तौड़गढ़		इंगला	14				
	योग	0		1		0	0	0
13.	चूरु		राजगढ़		ख्याली			6
			राजगढ़		मुन्दीताल			2
			राजगढ़		भगेला			11
			राजगढ़		चैनपुरा बड़ा			3
			चूरु		लाखाऊ		उपसरपंच	2
			चूरु		लाखाऊ			4
			चूरु		थैलासर			5
			चूरु		सिरसला			12
			रतनगढ़		दाऊदसर			6
			रतनगढ़		पड़िहारा			9
	योग	0		0		0	1	10
14.	दौसा		दौसा		सैंथल			10
			महवा		तालचिडी			11
			महवा		गढ़ हिम्मतसिंह			4
			सिकन्दरा		कैलाई		उपसरपंच	6

			सिकन्दरा		दुब्बी		उपसरपंच	3
			सिकराय		पीपलकी			3
			सिकराय		मानपुर			2
			सिकराय		करोड़ी		उपसरपंच	6
			सिकराय		गीजगढ़			2
			लालसोट		मिर्जापुर			8
			लालसोट		लाडपुरा	सरपंच		
			लालसोट		पट्टी किशोरपुरा			8
			लवाण		डुगरावता			1
			नांगल राजावतान		ठिकरिया			8
			नांगल राजावतान		ठिकरिया			9
	योग	0		0		1	3	14
15.	धौलपुर	9						
			सैपऊ		मढाकांकोली			8
			बाड़ी		मत्सूरा		उपसरपंच	9
	योग	1		0		0	1	2
16.	डूंगरपुर	9						
		12						
			आसपुर	6				
	योग	2		1		0	0	0
17.	जयपुर		चाकसू		कादेड़ा			1
			जोबनेर		आसलपुर		उपसरपंच	14
			आंधी		बिरासना			7
			बरसी		टहटड़ा		उपसरपंच	13
			जमवारामगढ़		राजपुरवास ताला	सरपंच		
			तूंगा	13				
			किशनगढ़ रेनवाल		बाघावास			9
			कोटखावदा		बल्लूपुरा	सरपंच		
			कोटखावदा		बल्लूपुरा		उपसरपंच	
			कोटखावदा		बल्लूपुरा			1
			कोटखावदा		बल्लूपुरा			2
			कोटखावदा		बल्लूपुरा			3
			कोटखावदा		बल्लूपुरा			4
			कोटखावदा		झापदाकला			2
			कोटखावदा		राडोली			10
			माधोराजपुरा		डिडावता		उपसरपंच	3
			सामरलेक		शार्दूलपुरा		उपसरपंच	1
			दूहू		गैजी			9
			फागी	5				
			तूंगा		पालावाला जाटान	सरपंच		
			तूंगा		पालावाला जाटान		उपसरपंच	
			तूंगा		पालावाला जाटान			1
			तूंगा		पालावाला जाटान			2

			तूंगा		पालावाला जाटान			3
			तूंगा		पालावाला जाटान			4
			तूंगा		पालावाला जाटान			5
			तूंगा		पालावाला जाटान			6
			तूंगा		पालावाला जाटान			7
			तूंगा		किशनपुरा			5
			तूंगा		किशनपुरा			6
			तूंगा		किशनपुरा			7
	योग	0		2		3	6	24
18.	कोटपूतली-ब हरोड़		नीमराणा		नंगली बलाहीर			5
			बानसूर		रयामपुरा			1
			बानसूर		कल्याणपुरा			11
	योग	0		0		0	0	3
19.	जैसलमेर		जैसलमेर		झाबरा			1
			मोहनगढ़		मण्डाउ			4
			सम		छतांगढ़	सरपंच		
			सम		कनौई			2
			फतेहगढ़		फतेहगढ़	सरपंच		
			फतेहगढ़		मोढा			9
			नाचना		आसकन्द्रा			4
			सांकड़ा		सनावड़ा	सरपंच		
			सांकड़ा		भादरिया			3
	योग	0		0		3	0	6
20.	जालोर		बागोड़ा		नरसाणा			6
			बागोड़ा		जैसावास			11
			भीनमाल		पूनासा			9
			भीनमाल		दासपां			8
			जसवंतपुरा		बासड़ा धनजी			2
			जसवंतपुरा		सावीधर			1
			जसवंतपुरा		डोरडा			5
			चितलवाना		गुडा हेमा			9
			चितलवाना		केरिया			9
			चितलवाना		जानवी			2
			चितलवाना		खासरवी			8
			चितलवाना		झाब			1
			चितलवाना		आकोली			9
	योग	0		0		0	0	13
21.	झालावाड़	5						
	योग	1		0		0	0	0
22.	झुन्झुनू		मण्डावा		भीमसर			1
			सिंधाना		घरडाना कलां			4

			बुहाना		भालोठ			5
			मण्डावा	14				
			अलसीसर		टमकोर			2
			चिड़ावा		भुकाना			7
	योग	0		1		0	0	5
23.	जोधपुर		धवा	5				
			धवा		कालीजाल			2
			धवा		फ्रीच			10
			लूणी		पालासनी			12
			पीपाड़-शहर		बोरुन्दा			3
			भोपालगढ़		देवातड़ा			5
			मण्डोर		जाजीवाल खिचियान			1
			मण्डोर		नांदडी		उपसरपंच	35
			केरु		पालडी मांगलिया			6
			ओसियां		खारडा मैवासा			6
			ओसियां		पंडितजी की ढाणी			3
			बावड़ी		बोड़वी खुर्द			1
			मण्डोर		बुधनगर			5
	योग	0		1		0	1	12
24.	फलोदी		घंटियाली		नारायणपुरा		उपसरपंच	5
			घंटियाली		बूगंडी			2
			घंटियाली		जैसला	सरपंच		
			बाप		खीरवा			5
			बाप		जाम्बा			9
			बाप		हिण्डालगोल			1
			बापिणी		बापिणी खूर्द			3
			बापिणी		जाखण			6
			बापिणी		रायमलवाड़ा			5
			बापिणी		बेदू कलां	सरपंच		
			बापिणी		ईशरु			4
			देचू	2				
	योग	0		1		2	1	9
25.	करौली		हिण्डौन		मण्डावरा			12
			श्रीमहावरीजी	15				
			सपोटरा	15/प्रधान				
			टोडाभीम		मोरडा			4
	योग	0		2		0	0	2
26.	नागौर		डेगाना		आंतरोली कलां			6
			डेगाना		राजोद			7
			रियांबड़ी		पादूकलां			16
			रियांबड़ी		भंवाल			4
			भैरुन्दा		निम्बडी कला			4
			भैरुन्दा		नथावड़ा			4
			मेड़ता		डांगावास			14
			भैरुन्दा		लाडपुरा			6

Per

	योग	0		0		0	0	8
27.	डीडवाना-कुचामन		परबतसर		हुलढाणी			8
			परबतसर		चिताई			7
			परबतसर		झालरा			1
			डीडवाना		लोरोली कला			1
			डीडवाना		मण्डाबासनी		उपसरपंच	5
	योग	0		0		0	1	5
28.	प्रतापगढ़	13						
			छोटीसादड़ी		धोलापानी			8
			घरियावद		देवला			5
			प्रतापगढ़		सिद्धपुरा			2
	योग	1		0		0	0	3
29.	राजसमन्द	1						
	योग	1		0		0	0	0
30.	सवाई माधोपुर		सवाई माधोपुर		आटूनकला			2
	योग	0		0		0	0	1
31.	सीकर		धोद		जेरठी			2
			धोद		जेरठी			9
			धोद		सिंगरावट			9
			धोद		कांसली			11
			पिपराली		कटराथल	सरपंच		
			पिपराली		पलासरा			6
			पिपराली		दादिया			2
			दांतारामगढ़		कुली			1
			फतेहपुर		अठवास			7
			फतेहपुर		अठवास			6
	योग	0		0		1	0	9
32.	सिरोही	18						
	योग	1		0		0	0	0
33.	श्रीगंगानगर		सूरतगढ़	13				
			सूरतगढ़		सिंगरासर			5
			सूरतगढ़		02 एसडी			6
		जिला प्रमुख						
			अनूपगढ़		15 ए बी	सरपंच		
		16						
	योग	1		1		1	0	2
34.	उदयपुर		गोगुन्दा		मादा			3
			गोगुन्दा		चाटियाखेडी			4
			कुराबड़		बम्बोरा			11
	योग	0		0		0	0	3
35.	सलूमर		जयसमन्द		पहाड़ी			3
			जयसमन्द		वीरपुरा			5
			जयसमन्द		वीरपुरा			3
			सेमारी		सेमारी	सरपंच		
			सराड़ा		खोड़ीमहुड़ी	सरपंच		
			सराड़ा		चावण्ड			5
			सराड़ा		सराड़ा			4
	योग	0		0		2	0	5

	जिला परिषद सदस्य 09 एवं जिला प्रमुख 01	प्रधान 02, उपप्रधान 01 एवं पंचायत समिति सदस्य 18		18	15	169
	10	21		18	15	169

Handwritten signature

Handwritten mark

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवम् Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2024/1335

दिनांक:- 02-05-2025

प्रेस-नोट

आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में दिनांक 31.01.2025 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र.सं.	नगरनिगम/नगरपरिषद/नगर पालिका का नाम	रिक्त वार्ड सं.
1.	बारा	1.	न.प. बारा	13
2.	धौलपुर	2.	न.प. धौलपुर	53
3.	हनुमानगढ़	3.	न.पा. पीलीबंगा	अध्यक्ष
4.	झालावाड	4.	न.पा. झालरापाटन	13
		5.	न.पा. अकलेरा	05 (अध्यक्ष)
5.	जोधपुर	6.	न.पा. पीपाडशहर	30
6.	झुन्झुनू	7.	न.पा. विद्याविहार	11
7.	कोटपुतली-बहरोड	8.	न.पा. कोटपुतली	17
8.	कोटा	9.	न.पा. रामगंजमण्डी	27
9.	नागौर	10.	न.पा. कुचेरा	17
		11.	न.पा. मेडता	उपाध्यक्ष
10.	सीकर	12.	न.पा. लक्ष्मणगढ़	09
11.	श्रीगंगानगर	13.	न.पा. करणपुर	23
12.	सलुम्बर	14.	न.प. सलुम्बर	14

उक्त रिक्त पदों हेतु उप चुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

➤ सदस्य पद के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	12.05.2025 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	16.05.2025 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	17.05.2025 (शनिवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	19.05.2025 (सोमवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	20.05.2025 (मंगलवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	26.05.2025 (सोमवार) प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	27.05.2025 (मंगलवार) प्रातः 9.00 बजे से

➤ अध्यक्षीय पदों के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	28.05.2025 (बुधवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	30.05.2025 (गुरुवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	31.05.2025 (शनिवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	02.06.2025 (सोमवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	02.06.2025 (सोमवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	05.06.2025 (गुरुवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	05.06.2025 (गुरुवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➤ उपाध्यक्षीय पदों के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	निर्वाचन की तिथि	06.06.2025 (शुक्रवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय-सारणी	
	बैठक का प्रारंभ	प्रातः 10:00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	प्रातः 11:00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11:30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 2:00 बजे तक
	मतदान यदि अवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5:00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

उक्त निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/3913 दिनांक 12.09.2014 के अनुसार सम्पन्न करवाये जायें।

● मतदाताओं की पहचान

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (आयोग के आदेश क्रमांक 559 दिनांक 07.02.2019)

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे

कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

• आदर्श आचरण संहिता

उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।

आज्ञा से,



(नलिनी कठोटिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2024/1336-1344
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 02-05-2025

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
3. अतिरिक्त सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन, राज., जयपुर।
7. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
9. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर ग्रामीण, सवाई माधोपुर एवं सीकर।



(नलिनी कठोटिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव